भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1522

20 सितम्बर, 2020 के लिए प्रश्न

खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवार

1522 श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की प्रतिशतता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए आबंटित तथा जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की प्रतिशतता निर्धारित लक्ष्य की तुलना में काफी कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत और लाभार्थियों को जोड़ने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में तेलंगाना की 60.96% ग्रामीण आबादी और 41.14% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 191.70 लाख व्यक्ति बनता है। तेलंगाना में यह अधिनियम अक्तूबर, 2015 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए फिलहाल 191.62 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार तेलंगाना राज्य में परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्डों का जिलावार ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

........2/-

(ख): तेलंगाना विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) वाला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डीसीपी राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी के तहत कोई राज्य विशिष्ट आवंटित निधि नहीं है। डीसीपी राज्यों को खाद्य सब्सिडी, राज्यों द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत किए गए दावों के आधार पर जारी की जाती है। इस स्कीम के तहत पिछले पांच वर्ष के दौरान तेलंगाना सरकार को जारी की गई निधि का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

केंद्रीय सरकार अनुमोदित मानदंडों के अनुसार राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन और हैंडलिंग तथा उचित दर दुकान के डीलरों के मार्जिन पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता भी प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत तेलंगाना सरकार को जारी निधियां दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(ग): तेलंगाना सरकार के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी समस्त निधियों का उपयोग कर लिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तेलंगाना राज्य के लिए कवरेज 191.70 लाख व्यक्ति है। फिलहाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 191.62 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है, जो निर्दिष्ट कवरेज का लगभग 99.96% है। अतः निर्दिष्ट कवरेज की तुलना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान कवरेज कम नहीं है।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

(च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1522 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

तेलंगाना राज्य में परिवारों और खाद्य सुरक्षा कार्डों का जिलेवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	जिले का नाम	परिवारों की संख्या, जनगणना 2011 के अनुसार	एनएफएसए के तहत जारी कार्ड	प्रतिशत
1	आदिलाबाद	156683	125446	80.06
2	भद्राद्री कोठगुडेम	279190	147859	52.96
3	हैदराबाद	849051	348359	41.03
4	जगित्याल	253619	190813	75.24
5	जनगांव	139238	85294	61.26
6	जयशंकर भूपलापल्ली	111082	61808	55.64
7	जोगुलअम्बा गडवाल	132261	90798	68.65
8	कामारेड्डी	222513	140942	63.34
9	करीमनगर	258485	148528	57.46
10	खम्मम	382929	232939	60.83
11	कुमुरम भीम आसिफाबाद	120420	93756	77.86
12	महबूबाबाद	195889	144660	73.85
13	महबूबनगर	185931	118366	63.66
14	मंचेरियल	206983	101385	48.98
15	मेडक	168677	116616	69.14
16	मेडचल	598112	289346	48.38
17	मुलुगु	78540	49642	63.21
18	नगरकर्नूल	196261	116924	59.58
19	नलगोंडा	401728	312431	77.77
20	नारायणपेट	114577	77804	67.91
21	निर्मल	165763	97501	58.82
22	निजामाबाद	369031	326617	88.51
23	पेड्डापल्ली	209677	116692	55.65
24	राजन्ना सरसीला	138992	106951	76.95
25	रंगारेड्डी	559150	380659	68.08
26	सांगारेड्डी	329208	319230	96.97
27	सिद्दीपेट	238049	257899	108.34
28	सूर्यपेट	285691	141999	49.70
29	विकाराबाद	194956	151304	77.61
30	वनापर्थी	123544	83501	67.59
31	वारंगल ग्रामीण	187525	133368	71.12
32	वारंगल शहरी	269180	117818	43.77
33	येदाद्रीभुवनगिरि	180677	119911	66.37
सकाल योग		8303612	5347166	64.40

****

अनुबंध-2

लोक सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1522 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्ष के दौरान तेलंगाना को जारी की गई खाद्य सब्सिडी

वर्ष	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
2016-17	1716.71
2017-18	3853.71
2018-19	2559.31
2019-20	4858.89
2020-21 (दिनांक 14.09.2020 तक)	4490.51

पिछले पांच वर्ष के दौरान तेलंगाना सरकार को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन और हैंडलिंग तथा उचित दर दुकानों के डीलरों की मार्जिन को पूरा करने के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" स्कीम के तहत जारी की गई निधियां

वित्तीय वर्ष	तेलंगाना सरकार को जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
2016-17	0.00
2017-18	129.13
2018-19	153.09
2019-20	0.00
2020-21 (दिनांक 17.09.2020 की स्थिति के अनुसार)	10.92

*****